

## आदेश

कृपया कालेआम स्थित आवासीय/अनावासीय यूनिट संख्या-एफ0फ0-ए 14 में रू0 19.46 लाख के सापेक्ष रू0 11.88 लाख निर्धारित धनराशि 50 प्रतिशत को निर्धारित धनराशि से कम जमा की गणना कर यूनिट का आवंटन समाप्त किया गया है। जबकि यूनिट के गत आवंटी द्वारा आज दिनांक 01.05.2018 द्वारा मुझे अवगत कराया है कि मेरे द्वारा जमा धनराशि रू0 11.88 लाख की आवंटन समाप्त होने के लिए निर्धारित 50प्रतिशत से अधिक पूर्व से जमा है ।

पुनः आवंटन के अन्तर्गत स्थिति उपरोक्तानुसार होने के कारण उक्त यूनिट पर पुनः आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। और यूनिट संख्या -एफ0फ0-ए 14 के गत आवंटी का आवंटन यथावत रहेगा। सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट- <http://bulandshahr.nic.in> तथा जिला पंचायत के वेबसाइट- [www.buzp.uppr.gov.in](http://www.buzp.uppr.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

### कार्यालय, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

पत्रांक 224 /अनुभाग-5/05732-282160/2018-19

दिनांक : 01मई,2018

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अभियन्ता, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
2. सम्बन्धित आवंटी/ द्वारा बिल्डर को यूनिट पर चेस्पा हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, शासकीय वेबसाइट जिला कलेक्ट्रेट को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेशानुसार वेबसाइट <http://bulandshahr.nic.in> पर सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला पंचायत, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिला पंचायत के वेबसाइट [www.buzp.uppr.gov.in](http://www.buzp.uppr.gov.in) पर अपलोड करें।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।